राजस्थान राज्य

बनाम

मदन सिंह

[आपराधिक अपील संख्या 234/2008]

1 फरवरी, 2008

[डॉ- अरिजीत पसायत और पी- सतशिवम, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 376 [2][च]-नाबालिग लड़की का बलात्कार- धारा 376[2][एफ] के अधीन अपराध-निर्णित-न्यूनतम सजा से कम सजा पर्याप्त एवं विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है-तथ्यों के आधार पर न्यूनतम सजा से कम सजा अधिरोपित करने हेतु कम करने वाले अथवा विस्तारक परिस्थितियाँ नहीं थीं -इस प्रकार उच्च न्यायालय का आदेश टिकाउ नहीं था और उसे अपास्त किया-सजा/सजा-बलात्कार मामला-सजा का अधिनिर्णय सामान्य दिशानिर्देश-समझाया गया। प्रतिवादी ने कथित तौर पर एक नाबालिग 10 वर्षीय के साथ बलात्कार किया विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अभियुक्त को धारा 376 (2)(च) में दोषसिद्ध करते हुये 10 वर्ष की सजा दी। तथापि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के छः वर्षों की अभिरक्षा, दो बच्चों के परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति होने तथा नवयुवक होने के तथ्यों को ध्यान में रखते

हुये सजा को दस वर्ष से घटाकर सात वर्ष कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील को अनुमति देते हुए, अदालत ने निर्णित किया

1.1 बलात्कार के मामले में सजा का निर्धारण पीडित या अभियुक्त की सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं कर सकता। इसका निर्धारण अभियुक्त के आचरण, यौन उत्पीडन महिला की स्थिति तथा उम्र एवं आपराधिक कृत्य की संगीनता होना चाहिये। महिलाओं पर होने वाली हिंसा के अपराध को सख्ती से निपटाने की जरूरत है। अभियुक्त या पीडित की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति या पंथ सजा निर्धारण में सुसंगत नहीं हैं। समाज की रक्षा एवं अपराध को रोकना कानून का एक मात्र उद्देश्य है, जिसे उचित सजा दिया जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सजा देने वाले न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि सजा के प्रश्न से संबंधित सभी सुसंगत तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा अधिरोपित करें। न्यायालयों को मासूम, लाचार लडकियों से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में समाज की न्याय की गुहार को सुनते हुये उचित सजा अधिरोपित कर जबाव देना चाहिये। अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को न्यायालय द्वारा उचित सजा के माध्यम से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। [पैरा 8] [279-बी, सी, डी, ई]

1.2 विधायिका की 12 वर्ष से कम आयु की लडकी पर बलात्कार के अपराध में सजा का प्रावधान दस वर्ष से कम नही होने से लेकर आजीवन

कारावास तक और जुर्माना करने की मंशा सजा में सख्ती के इरादे को दर्शाती है। धारा 376 (2) का परन्तुक यह प्रतिपादित करता है कि न्यायालय पर्याप्त एवं विशेष परिस्थितियों को निर्णय में वर्णित करते हुये दस वर्ष से कम किसी भी भांति के कारावास की सजा दे सकता है। यह एक भौतिक नियम है कि परन्तुक को मुख्य मामले के संबंध में देखा जाना चाहिये विशेषकर दाण्डिक प्रावधानों में। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि इस तरह के प्रकरणों में सजा देने की विधायिका की मंशा का सम्मान करे। परंतुक का सहारा केवल 'विशेष और पर्याप्त कारणों" के लिए लिया जा सकता है न कि आकस्मिक तरीके से। क्या कोई 'विशेष और पर्याप्त कारण" मौजूद हैं, यह विभिन्न कारकों और विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। उस संबंध में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।[पैरा 09][279-जी,एच;280-अ,ब,स]

2. अभिलेख पर निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा अधिरोपित करने के कोई पर्याप्त कारण मौजूद नहीं है, इस तरह के जघन्य अपराधों में उदारता दिखाना न्यायिक उपहास होगा और नर्मी की याचिका पूरी तरह से गलत है। विधि की उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उच्च न्यायालय का सजा घटाकर सात वर्ष करने का निर्णय पूर्णतः गलत है और अपास्त किया जाता है।[पैरा 8 और 10][279-ई, एफ; 280- डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 234/2008

एस.बी.सी.आर.एल. जे.ए. नं. 581/2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अंतिम निर्णय दिनांक 28.10.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से मिलिंद कुमार और अरुणेश्वर गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी गयी है। आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 376 (2)(च) दोषसिद्धि के आदेश को यथावत रखते हुये सजा को दस वर्ष से कम कर सात वर्ष कर दिया।

3. प्रतिवादी ने कथित तौर पर 29.08.1999 पर लगभग 10 साल की नाबालिग लडकी के साथ बलात्कार किया । चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है इस वजह से विस्तार में प्रकरण के तथ्यों को उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विचारण न्यायालय में साक्ष्य की आधार पर यह पाया कि आहता की उम्र लगभग 10 वर्ष थी। उच्च न्यायालय के समक्ष सजा की प्रश्न के अलावा जो एकमात्र बिन्दु उठाया गया वह यह था कि अपराध धारा 376 सपठित धारा 511 भा दं सं की श्रेणी में आता है। यह तर्क दिया

गया कि अभियुक्त लगभग 6 साल की अभिरक्षा में रह चुका है एवं वह एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है तथा नवयुवक होने के कारण सजा को भुगती हुयी सजा तक कम कर देना चाहिये। राज्य ने यह कहते हुये याचिका का विरोध किया कि विधि के द्वारा न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है इस वजह से किसी नरमी की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 376 के अपराध में दोषी सही ठहराया था। चूंकि आहत की आयु 10 वर्ष थी, प्रकरण के तथ्यात्मक तथ्य पर विचार करते हुये कारण देने के पश्चात न्यूनतम सजा कम की जा सकती थी। ऐसा विचार करने के पश्चात उच्च न्यायालय ने सजा को घटाकर सात साल कर दिया और निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ चूक की शर्त के साथ 5000 रूपये का जुर्माना लगाया गया:

> ''पूरे मामले पर विचार करने और विद्वान वकील के तर्कों को ध्यान में रखते हुये कि अभियुक्त नवयुवक है जो कि परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है एवं उसके बच्चे जो अब बडे हो गये हैं, को उसके पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, मैं धारा 376 (2) (च)के उसकी सजा तहत सात साल के कारावास एवं पाॅच हजार रूपये जुर्माना अदम अदायगी एक वर्ष का साधारण कारावास पृथक से भुगतने तक कम करने की हद तक विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश संशोधित करता हूँ।''

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब न्यूनतम सजा निर्धारित की जाती है, तो केवल पर्याप्त और विशेष कारणों के लिये न्यूनतम से कम सजा दी सकती है। हस्तगत मामले में बताये गये कारण कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे।

5. प्रतिवादी नोटिस की तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है।

6. धारा 376 के उपखण्ड 1 व 2, दोनों में ही न्यायालय को ''पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने का विवेकाधिकार दिया गया है। यदि अदालत फैसले में ऐसे कारणों का उल्लेख नहीं करती है, तो कम सजा देने की कोई गुंजाईश नहीं है।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि धारा 376 के उपखण्ड 2 के अनुसार उक्त उपखण्ड में उल्लेखित विशेष तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अधिक कठोर दण्ड भी दिया जा सकता है। यह मामला धारा 376 (2)(च) भा द सं के तहत आता है जहाँ 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, स्वीकृत रूप से हस्तगत प्रकरण में अपराध घटित होने के समय पीडिता की उम्र 10 वर्ष थी।

8. बलात्कार के मामले में सजा का पैमाना पीडित या आरोपी की सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं कर सकता है। इसका निर्धारण अभियुक्त के आचरण, यौन उत्पीडन महिला की स्थिति तथा उम्र एवं आपराधिक कृत्य की संगीनता होना चाहिये। महिलाओं पर होने वाली हिंसा के अपराध

को सख्ती से निपटाने की जरूरत है। अभियुक्त या पीडित की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति या पंथ सजा निर्धारण में सुसंगत नहीं हैं। समाज की रक्षा एवं अपराध को रोकना कानून का एक मात्र उद्देश्य है, जिसे उचित सजा दिया जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सजा देने वाले न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि सजा के प्रश्न से संबंधित सभी सुसंगत तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा अधिरोपित करें। न्यायालयों को मासूम, लाचार लडकियों से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में समाज की न्याय की गुहार को सुनते हुये उचित सजा अधिरोपित कर जबाव देना चाहिये। अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को न्यायालय द्वारा उचित सजा के माध्यम से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। अभिलेख पर कम करने वाले ऐसे कोई तथ्य मौजूद नहीं थे जो कि प्रतिवादी पर निर्धारित न्यूनतम से कम सजा दिये जाने को औचित्यपूर्ण ठहराये। इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में दया दिखाना न्यायिक उपहास करना होगा और दया की याचिका पूरी तरह से गलत होगी।

9. विधायिका की 12 वर्ष से कम आयु की लडकी पर बलात्कार के अपराध में सजा का प्रावधान दस वर्ष से कम नही होने से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माना करने की मंशा सजा में सख्ती के इरादे को दर्शाती है। धारा 376(2) भादंसं का परन्तुक यह प्रतिपादित करता है कि

न्यायालय पर्याप्त एवं विशेष परिस्थितियों को निर्णय में वर्णित करते हुये दस वर्ष से कम किसी भी भांति के कारावास की सजा दे सकता है। इस प्रकार जहाँ बलात्कार 12 वर्ष से कम उम्र की बालक के साथ किया जाता है, वहाँ सामान्य सजा 10 वर्ष के कठोर कारावास से कम नहीं होगी हालांकि अपवादिक परिस्थितियों में पर्याप्त एवं विशेष कारण के आधार पर 10 वर्ष से कठोर कारावास से कम का दण्ड दिया जा सकता है। यह एक भौतिक नियम है कि परन्तुक को मुख्य मामले के संबंध में देखा जाना चाहिये विशेषकर दाण्डिक प्रावधानों में। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि इस तरह के प्रकरणों में सजा देने की विधायिका की मंशा का सम्मान करे। परंतुक का सहारा केवल 'विशेष और पर्याप्त कारणों" के लिए लिया जा सकता है न कि आकस्मिक तरीके से। क्या कोई 'विशेष और पर्याप्त कारण" मौजूद हैं, यह विभिन्न कारकों और विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। उस संबंध में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

10. विधि की उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उच्च न्यायालय का सजा घटाकर सात वर्ष करने का निर्णय पूर्णतः गलत है और अपास्त किया जाता है, विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दस वर्ष के कारावास की सजा को बहाल किया जाता है।

11. अपील की अनुमति दी जाती है।

एन.जे.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संतोष अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।